21/4/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बाद बहस वादीगण वकीलान सुना गया है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नियम से दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2014/00015

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – भरत जयप्रकाश मीना आई.ए.एस

वाद संख्याः–22 / 2014 दायरा दिनांक :– 27.05.2022

GCMS : – 2014 / 00015

–: अनवान :–

1 नाजमसिह पुत्र श्री गुरूदेवसिह जाति मजहबी साकिन 2 डब्ल्यु गुरूसर तह.करणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2 बलजीतसिह पुत्र श्री गूरूदेव सिह जाति मजहबी साकिन संगीता तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3 सरदुलसिह पुत्र श्री गुरूदेवसिह जाति मजहबी साकिन 2 डब्ल्यु गुरूसर तह. करणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1 किशोरसिह पुत्र अर्जुनसिह जाति मजहबी साकिन संगीता तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2 हॅसासिह पुत्र अर्जुनसिह जाति मजहबी साकिन संगीता तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3 जनकसिह पुत्र श्री अर्जुनसिह जाति मजहबी साकिन संगीता तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4 तारो पुत्री अर्जुनसिह पत्नी गुरदीपसिह जाति मजहबी फौत जरिये वारिस :–

4/1 मनजीत कौर उर्फ रेश्मा पत्नी मन्दरसिह जाति मजहबी साकिन 87 जी. बी. तह. अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

5 गुडडी पुत्री अर्जुनसिह पत्नी जगजीतसिह पुत्र प्रभूसिह जाति मजहबी साकिन 3 के.एस.एम.ढाणी बाण्डा कालोनी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

6 पम्मी पुत्री अर्जुनसिह पत्नी जगसीरसिह जाति मजहबी साकिन बरूवाला तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

7 नसीबकौर पत्नी गूरूदेव मजहबी साकिन गूरूसर (फौत) आदेश दिनांक 03.03.2025

8 जसविन्द्रकोर पुत्री गूरूदेवसिह पत्नी जगसीरसिह जाति मजहबी साकिन कमरानिया तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राज।

9 बलविन्द्र कौर पुत्री गूरूदेवसिह पत्नी जगदेवसिह जाति मजहबी साकिन केरा चक वाया लालगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज।

10 कुलविन्द्र कौर पुत्री गूरूदेवसिह पत्नी वीरसिह जाति मजहबी साकिन 6 एन एन तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज

11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ ।

12 उप पंजीयक सूरतगढ

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:37 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

लगातार पेज न 2.....पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(नाजमसिंह बनाम किशोरसिंह)
(वाद संख्या 22/2014)

उपस्थितः–

1 श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता वादीगण
2 श्री दलवीरसिह अधिवक्ता प्रतिवादी न 1 ता 3
3 श्री भगवानदत शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी 2
4 श्री राकेश मनचन्दा अधिवक्ता प्रतिवादी न 2
5 श्री योगेश कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी नं 3/1 ता 3/3
6 पैरा कार राज नायाब तहसीलदार

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 21.04.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि, वादीगण के दादा व प्रतिवादी न 1 ता 6 के पिता व प्रतिवादी न 7 ता 10 के ससूर/दादा अर्जनसिह के नाम से चक 2 एस.डी. के प.न. 33/33 के किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 16 ता 25 मे 21.10 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन व किला नं. 15 का 1.00 बीघा रकबा स्माल पेच मे आवंटित होकर इस प्रकार कुल 22.10 बीघा रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होकर वादीगण के दादा अर्जनसिंह के कब्जाकाश्त मे चली आ रही थी। पुख्ता आवंटित रकबा 21.10 बीघा रकबा के खातेदारी अधिकार सनद नं. 58487 दिनांक 27.05.1995 को जारी हो गई। जिसका खातेदारी इंतकाल नं. 58 दिनांक 15.11.1995 को स्वीकृत हो गया व स्माल पेच मे आवंटित किला नं. 15 के 1.00 बीघा रकबा की खातेदारी सनद नं. 052244 दिनांक 04.05.1994 को जारी हो गई जिसका खातेदारी इंतकाल उसी समय स्वीकृत हो गया। वादीगण के पिता सन् 1999 वादीगण के दादा अर्जुनसिंह के जीवनकाल मे ही फौत हो गये थे वादीगण के दादा अर्जुनसिंह बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनके कुल 4 पुत्र थे तथा उन्होने अपनी पुत्रियों (प्रतिवादीया नं. 4 ता 6) की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी वो अपने ससुराल मे रहती है। वादीगण के पिता कुल 4 भाई (गुरदेव सिंह, किशोर सिंह, हंसा सिंह, जनकसिंह) थे इस प्रकार वादीगण के पिता का वादीगण के दादा के नाम के उक्त रकबा मे 1/4 हिस्सा बनता था। वादीगण के पिता के फौत हो जाने से वादीगण ही अपने दादा की सेवा चाकरी करते थे तथा उन्होने अपने जीवनकाल मे ही अपने नाम के रकबा की उचित व्यवस्था कर दी ताकि उनके मरने के बाद उनके नाम के रकबा के वारिसो के मध्य किसी तरह का विवाद न हो। वादीगण के दादा ने अपनी स्वेच्छा व अपनी स्वतंत्र सहमति से अपने नाम के कुल रकबा मे से बिना किसी अनुचित दबाव के उक्त 22.10 बीघा रकबा मे से किला नं. 1 मय खाला , 7 ता 10/5.00 बीघा व किला नं. 15 का 0.15 बीघा कुल 5.15 बीघा रकबा की वसीयत दिनांक 14.03.2008 को वादी नं. [illegible] ता 3 के [illegible] लिखवाकर उप पंजीयक सूरतगढ से पंजीयन करवा दी थी व [illegible] यत [illegible] समय ही इस रकबा का कब्जा वादीगण को सौंप दिया [illegible] वादीगण के दादा [illegible] नांक 21.12.2010 को फौत हो चुके है। वादीगण सीधे–साधे [illegible] है। प्रतिवादी नं. 1 ता 3 जो वादीगण के सगे चाचा है उन्होने वादीगण के दादा [illegible] तमाम रकबा का विरास्तन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार पेज न 3....पर

इंतकाल सभी वारिसो के नाम से करवा दिया। जिसके खिलाफ वादीगण ने इसी न्यायालय मे अपील नं. 29/2014 पेश की, जिसमे दिनांक 11.01.2016 को निर्णय हो गया है तथा अपील मे यह निर्णित किया है कि घोषणात्मक दावा नं. 22/2014 अनवान नाजम सिंह बनाम किशोर सिंह ने निर्णय के उपरान्त निर्णय अनुसार अमलदरामद किया जावेगा। तब तक रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनी रहेगी। वादीगण ने अपने कब्जाकाश्त के वसीयत मे दर्ज 5.15 बीघा रकबा को सुधारकर काबिल काश्त किया है। वादीगण के दादा की अपने नाम के शेष रकबा की वसीयत भी प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के पक्ष मे करवाई हुई है। वो वसीयत के मुताबिक क्लेम करते है तो वादीगण को कोई उज्र व एतराज नही होगा। इसलिए वादीगण ने निवेदन किया है कि चक 2 एस.डी. के किला नं. 1–7 ता 10/1.265 हैक्. व किला नं. 15 का 0.190 हैक्. कुल 1.455 हैक्. रकबा का वादीगण को वसीयत दिनांक 14.03.2008 के मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इस चक के विरास्तन इन्तकाल नं. 166 स्वीकृति दिनांक 05.02.2011 को वादीगण के हको पर बेअसर घोषित कर यह 1.455 हैक्. रकबा प्रतिवादी नं. 1 ता 10 के नाम से कलमजन किया जावे व चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे कि, उक्त 1.455 हैक्. (5.15 बीघा) रकबा मे प्रतिवादीगण किसी तरह की दखंलदाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करवावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 2 की और से जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के तथ्यों को इन्कार करते हुए निवेदन किया कि वादीगण के पिता ने दिनांक 14.03.2008 को कोई वसीयत निष्पादित नही की गई थी व न ही वो वसीयत करवाने के अधिकारी थे। क्योंकि यह भूमि उनको बतौर भूमिहीन परिवार के पोषण हेतु आवंटित की गई थी। यह भूमि संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पति की परिभाषा में आती थी। बतौरकर्ता मुझ प्रतिवादी के पिता के नाम से कृषि भूमि आवंटित हुई। प्रथमतः परिवार के कर्ता को, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही कृषि भूमि हस्तान्तरण के अधिकार थे। इसे वसीयत के माध्यम से हस्तान्तरण करने के उन्हें कतई विधिक रूप से अधिकार नही थे। द्वितीय मेरे पिता अर्जन सिंह के द्वारा की गई तथाकथित वसीयत में स्वयं की उम्र 85 वर्ष अंकित की गई है। इस उम्र में मानव की सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। मात्र अंकित करने से कि यह वसीयत दबाव व बहकाव में नहीं की गई व्यक्ति के वसीयत के समय स्वस्थ चित होने का कतई प्रमाण नहीं माना जा सकता है। वसीयत के [illegible] भी वसीयतकर्ता को ना तो बताया गया ना उससे इस [illegible] किया गया। प्रतिवादी सं. 2 परिवार का सहदायी सदस्य था। परिवार [illegible] रीति से शासित है जिसमें प्रत्येक सदस्य का परिवार के कर्ता के [illegible] से अंकित कृषि भूमि बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा निहित होता है। जैर प्रकरण रकबा का विरास्तन इन्तकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:37 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न 4....पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(नाजमसिंह बनाम किशोरसिंह)
(वाद संख्या 22/2014)

नं. 166 दिनांक 05.02.2011 को अर्जन सिंह के सभी वारिसो के नाम से अंकित किया गया है जो कि विधिसम्मत है। वसीयत के समय मेरे पिता अस्वस्थ थे व सोचने–समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी न तो उन्हे पूरा दिखाई देता था व न ही पूरा सुनाई देता था। इसलिए वाद वादीगण पूरी तरह से खारिज किया जावे। प्रतिवादी नं. 7 ता 10 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। वादी के दावा व प्रतिवादी के जबाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात बनाई गई।

तनकी नं. 1 :– आया वादीगण के दादा अर्जनसिंह ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 14.03.2008 को अपने नाम के खातेदारी रकबा वाके चक 2 एस.डी. के पत्थर नं. 33/33 के किला नं. 1–7 ता 10 में 5.00 बीघा व 5/0.15 बीघा कुल 5.15 बीघा रकबा की वसीयत स्वेच्छा से रूबरू गवाहान वादीगण के पक्ष मे निष्पादित की थी ?

–– वादीगण

तनकी नं. 2 :– आया वादीगण के दादा को अपने नाम के चक 2 एस.डी. के अपने नाम के खातेदारी रकबा पत्थर नं. 33/33 के 5.15 बीघा रकबा की वसीयत करने का अधिकार था ?

–– वादीगण

तनकी नं. 3 :– आया वादीगण के दादा अर्जन राम के फौत होने के बाद वादीगण अपने नाम से वसीयत दिनांक 14.03.2008 के आधार पर खातेदार कृषक घोषित करवाने के हकदार है व यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के हकदार है व प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर वादीगण के कब्जाकाश्त में दखल न करने के लिए पाबन्द करवाने के हकदार है ?

––वादीगण

तनकी नं. 4 :– आया चक 2 एस.डी. का इन्तकाल नं. 166 स्वी कृत दिनांक 15.02.2011 वादीगण के हितो पर बेअसर है तथा वसीयत दिनांक 14.03.2008 मे दर्ज रकबा प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन योग्य है ?

––वादीगण

तनकी नं. 5 :– अन्य अनुतोष ....

तनकीयान बनाई जाने के पश्चात वादी ने PW-1 वादी स्वंय बलतेज सिह के बयान व PW-2 में साक्ष्य वादी गवाह [illegible] सिंह एवं PW-3 गवाह जनकसिंह (प्रतिवादी नं. 3) तथा PW-4 गवाह दलवीर सिंह के बयान जरिये शपथ पत्र पेश हुए

लगातार पेज न 5.....पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जिनकी जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई तथा साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी नं. 1 ने अपने बयान व गवाहान बयान जरिये शपथ पत्र पेश किऐ परन्तु जिरह हेतु काफी अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादी व उनके गवाहान पेश नही हुए, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये। उभय पक्ष के साक्ष्य बन्द किये जाकर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे दावा के तथ्यो को दोहराते हूऐ अपने दावा स्वीकार कर मुताबिक वसीयतनामा वादीगण को खातेदार कृषक 5.15 बीघा कब्जा काश्त खाता विभाजन का निवेदन किया व कानुनी नजीर RBJ 2020 PAGE 286, RSA NO-1673/1990, RRT 2018 (2) PAGE 848, RRT 2020(1) P 271, AIR (SCW) 1999 P 1129, AIR (SC) 1989 P 1141,SCC (CIVIL) 2022 (1) PAGE 317, AIR(SCW) 1999 P 1039 पेश की तथा प्रतिवादी अधिवक्ता ने जबाब दावा के तथ्यो को दोहराते हूऐ दावा खारिज करने का निवेदन किया। हम पत्रावली में बहस सूनकर तनकीवार विवेचन कर निर्णय करना उचित समझते है इसलिए निम्नानुसार तनकीयात का विवेचन किया जाता है।

<u>तनकी नं. 1 :–</u> आया वादीगण के दादा अर्जनसिंह ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 14.03.2008 को अपने नाम के खातेदारी रकबा वाके चक 2 एस.डी. के पत्थर नं. 33/33 के किला नं. 1–7 ता 10 में 5.00 बीघा व 5/0.15 बीघा कुल 5.15 बीघा रकबा की वसीयत स्वेच्छा से रूबरू गवाहान वादीगण के पक्ष मे निष्पादित की थी ?

—— वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने पंजीकृत वसीयत की असल प्रति प्रस्तुत की है तथा वसीयत लिखने वाले सरदार दलवीर सिंह सोवणा ने उपस्थित होकर इस न्यायालय मे शपथ पत्र मय जिरह पेश किया जिसमें उसने स्वीकार किया है कि यह वसीयत मृतक अर्जनसिंह ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 14.03.2008 को उससे वसीयत स्वेच्छा से व बिना किसी दबाव के लिखवाई थी तथा वसीयतकर्ता को एवं गवाहो को वसीयत लिखकर सुनाई गई थी, उसके पश्चात् वसीयतकर्ता अर्जुनसिंह ने अपने वसीयत पर गवाहो के समक्ष अंगूठा निशानी लगाये थे व उप पंजीयक अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश होकर स्वेच्छा से बिना किसी दबाव वसीयत वादीगण के पक्ष मे निष्पादित करवाई थी। तथा वसीयत के दोनो गवाहान जिसमे एक गवाह प्रतिवादी न 3 जनकसिह स्वय था, उसने व वसीयत के स्वतन्त्र गवाह हरदेव दोनो ने भी उपस्थित होकर [illegible] दिये है कि अर्जूनसिह ने अपने जीवनकाल मे यह वसीयत अपनी स्वे[illegible] से [illegible]ना किसी दबाब के लिखवा कर उप पंजीयक से तस्दीक करवाई थी, इस प्रकार [illegible] वसीयत के कातिब व गवाहान के बयानो से यह पूर्णतया साबित है कि अर्जनसिह द्वारा निष्पादित वसीयत बिना किसी दबाव व अपनी स्वेच्छा से वादीगण के पक्ष मे निष्पादित व पंजीयन करवाई है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:37 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न 6.....पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(नाजमसिंह बनाम किशोरसिंह)
(वाद संख्या 22/2014)

तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानुनी नजीर RRT 2018 P 848 में अंकित आर बी जे 2005 पेज 211 मे अंकित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया कि When Statements of scribe and two attesting witness before Registrar are in harmony with statement made by them in the court- will is genuine इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

तनकी नं. 2 :– आया वादीगण के दादा को अपने नाम के चक 2 एस.डी. के अपने नाम के खातेदारी रकबा पत्थर नं. 33/33 के 5.15 बीघा रकबा की वसीयत करने का अधिकार था ?

—— वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है । वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वसीयतकर्ता अर्जनसिंह के नाम से जारी खातेदारी सनद कमांक 052244 दिनांक 04.05.1994 जिसमें 1.00 बीघा कमाण्ड भूमि व सनद कमांक 058487 दिनांक 27.05.1995 जिसमें 21.10 बीघा कमाण्ड भूमि पेश की जिसमे यह साबित होता है कि उपर्युक्त 22.10 बीघा कमाण्ड भूमि वादीगण के दादा अर्जनसिह के नाम से पुख्ता ऑवटन होकर इस रकबा के खातेदार अधिकार वसीयत से पूर्व अर्जनसिह के नाम से जारी हो राजस्व रिकार्ड मे इन्तकाल दर्ज हो गया था इसलिये वसीयत कर्ता अपने नाम के रकबा का खातेदार था तथा वह पूर्ण स्वामी था तथा उसने अपने नाम के 22.10 बीघा मे से केवल 5.15 बीघा रकबा की वसीयत रोबरू गवाहान लिखवाकर पढ–सुन समझ कर वसीयत को उपपंजीयक के समक्ष पंजीयन करवाई है तथा वसीयत करवाने के दिन से पूर्व वह खातेदार था इसलिए पूर्णता स्वामित्व होने के कारण अर्जनसिंह वसीयत करने का पूर्ण अधिकारी था तथा प्रतिवादीगण के द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि अर्जनसिंह अपने नाम के खातेदारी रकबा का वसीयत नही कर सकता था तथा उक्त ऑवटन अर्जनसिह हो व्यक्तिगत तौर हूआ माना जावेगा तथा वसीयत आज भी प्रभावी है किसी भी न्यायालय ने इस वसीयत को निरस्त नही किया है काननी नजीर RRT 2018 P 848 ***के अनुसार वसीयत को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल कोट को है*** RBJ 2020 PAGE 286 भी इस पर पूर्णतया लागु होती है, इस प्रकार यह तनकी वादीगण सिद्व कर पाये है, इसलिए इस तनकी का निणर्य बहक वादीगण किया जाता है।

तनकी नं. 3 :– आया वादीगण के दादा अर्जन राम के फौत होने के बाद वादीगण अपने नाम से वसीयत दिनांक 01.03.2008 के आधार पर खातेदार कृषक घोषित करवाने के हकदार है व यह रकबा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के हकदार है व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर वादीगण के कब्जाकाश्त में दखल न करने के लिए पाबन्द करवाने के हकदार है ?

——वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार पेज न 7.....पर

(नाजमसिंह बनाम किशोरसिंह)
(वाद संख्या 22/2014)

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण के दादा खातेदार काश्तकार अर्जनसिह ने अपने नाम के 22.10 बीघा रकबा मे से 5.15 बीघा रकबा की वसीयत वादीगण के पक्ष मे करवा दी थी तथा तनकी न 1 व 2 को वादीगण ने साबित कर दिया है वसयीत मे अंकित चक 2 एस.डी. के पत्थर न 33/33 के किला नं. 1/.253 मय खाला , 7 ता 10/1.012 हैक कमाण्ड व किला नं. 15 का 0.190 हैक. कमाण्ड कुल 1.455 हैक.कमाण्ड मय खाला रकबा यानी उक्त 5.15 बीघा रकबा के वादीगण वसीयत के आधार पर उक्त रकबा अपने नाम करवाने के हकदार हो गये तथा RRT 2018 P 848 ***के अनुसार*** जब मृतक ने अपने जीवनकाल मे वसीयत निष्पाद कर दी है तो हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान वसीयत शुदा रकबा पर लागु नही होगे इसलिए वसीयत मे अंकित चक 2 एस.डी. के पत्थर न 33/33 के किला नं. 1–7 ता 10/1.265 हैक व किला नं. 15 का 0.190 हैक. कुल 1.455 हैक. रकबा की खातेदार अर्जनसिह ने वादीगण के पक्ष मे पंजीकृत वसीयत कर दी है तो अर्जनसिह के फौत हो जाने के बाद इस 5.15 बीघा यानी 1.455 हैक रकबा के खातेदार काश्तकार घोषीत करवाने के हकदार हो गये है तथा यह रकबा मृतक के सभी जायज वारिसो के नाम दर्ज होने की बजाय वसीयत के मुताबिक ही दर्ज होगा इसलिये कानुनी रूप से इस रकबा के वादीगण मुताबिक वसीयत खातेदार हो गये है

<u>तनकी नं. 4 :–</u> आया चक 2 एस.डी. का इन्तकाल नं. 166 स्वीकृत दिनांक 15.02.2011 वादीगण के हितो पर बेअसर है तथा वसीयत दिनांक 14.03.2008 मे दर्ज रकबा प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन योग्य है ? ——वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण है चुकि तनकी न 1 ता 3 मे अंकित निर्णय अनूसार वादीगण जैर प्रकरण चक 2 एस.डी. के प.न. 33/33 के किला नं. 1–7 ता 10/1.265 हैक व किला नं. 15 का 0.190 हैक. कुल 1.455 हैक. रकबा के कानुनी रूप से खातेदार हो गये तथा उक्त रकबा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के हकदार हो गये है तो यह रकबा प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन योग्य है कानुनी नजीरो के मुताबिक भी वसीयत शूदा रकबा पर उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान लागु नही होगे इसलिये इस तनकी का निर्णय भी बहक वादीगण किया जाता है ।

उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण ने तनकी नं. 1 ता 4 ने साबित कर दी है, इसलिए हम वाद वादीगण स्वीकार कर पक्षकारान स्वीकार कर चक 2 एस.डी. के पत्थर न 33/33 के किला नं. [illegible] कमाण्ड मय खाला व किला नं. 15 का 0.190 हैक. कुल 1.455 हैक. कमाण्ड [illegible] रकबा के वादीगण न 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर खातेदार [illegible] यह रकबा वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने का तथा यह रकबा प्रतिवादीगण से कलमजन करने का व

लगातार पेज न 8.....पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:37 IST
Reason: SelfAttested

(नाजमसिंह बनाम किशोरसिंह)
(वाद संख्या 22/2014)

वादीगण के कब्जा काश्त में किसी तरह की दखलदाजी प्रतिवादीगण नही करेगे कि चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है तथा निर्णयनुसार रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ को आदेश देना उचित समझते है ।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर चक 2 एस.डी. के पत्थर न 33/33 मु.न. 36 के किला नं. 1/.253 हैक कमाण्ड मय खाला , 7 ता 10/1.012 हैक कमाण्ड व किला नं. 15 का 0.190 हैक. कमाण्ड कुल 1.455 हैक. कमाण्ड मय खाला यानी 5.15 बीघा रकबा के वादीगण न 1 ता 3 को वसीयतनामा दिनांक 14.03. 2008 अर्जुनसिंह बहक नाजमसिंह आदि के आधार पर बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषीत किया जाता है तथा यह रकबा वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज करने का तथा यह रकबा प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन करने का तहसीलदार सूरतगढ को आदेश दिया जाता है व प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है वह वादीगण के कब्जा काश्त में किसी तरह कि दखलदाजी न तो स्वयं करे व नही किसी अन्य से करवाये। निर्णयनुसार डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक २१.०५.२६. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

BL
(भरत जय प्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:37 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1 नाजमसिह पुत्र श्री गुरूदेवसिह जाति मजहबी साकिन 2 डब्ल्यु गुरूसर तह.करणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2 बलजीतसिह पुत्र श्री गूरूदेव सिह जाति मजहबी साकिन संगीता तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3 सरदुलसिह पुत्र श्री गुरूदेवसिह जाति मजहबी साकिन 2 डब्ल्यु गुरूसर तह. करणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1 किशोरसिह पुत्र अर्जुनसिह जाति मजहबी साकिन संगीता तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2 हॅसासिह पुत्र अर्जुनसिह जाति मजहबी साकिन संगीता तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3 जनकसिह पुत्र श्री अर्जुनसिह जाति मजहबी साकिन संगीता तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4 तारो पुत्री अर्जुनसिह पत्नी गुरदीपसिह जाति मजहबी फौत जरिये वारिस :–

4/1 मनजीत कौर उर्फ रेश्मा पत्नी मन्दरसिह जाति मजहबी साकिन 87 जी. बी. तह. अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

5 गुडडी पुत्री अर्जुनसिह पत्नी जगजीतसिह पुत्र प्रभूसिह जाति मजहबी साकिन 3 के.एस.एम.ढाणी बाण्डा कालोनी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

6 पम्मी पुत्री अर्जुनसिह पत्नी जगसीरसिह जाति मजहबी साकिन बरूवाला तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

7 नसीबकौर पत्नी गूरूदेव मजहबी साकिन गूरूसर (फौत)

8 जसविन्द्रकोर पुत्री गूरूदेवसिह पत्नी जगसीरसिह जाति मजहबी साकिन कमरानिया तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राज।

9 बलविन्द्र कौर पुत्री गूरूदेवसिह पत्नी जगदेवसिह जाति मजहबी साकिन केरा चक वाया लालगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज।

10 कुलविन्द्र कौर पुत्री गूरूदेवसिह पत्नी [illegible] जाति मजहबी साकिन 6 एन एन तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज।

11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ ।

12 उप पंजीयक सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:37 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण

लगातार पेज न 2.....पर

(नाजमसिंह बनाम किशोरसिंह)

(वाद संख्या 22/2014)

वाद पत्र अर्तगत धारा 88 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 22 वर्ष 2014 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा व प्रतिवादी नं. अधिवक्ता श्री राकेश मनचंदा, श्री दलबीरसिंह सोवणा व श्री भगवानदत्त शर्मा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर चक 2 एस.डी. के पत्थर न 33/33 मु.न. 36 के किला नं. 1/.253 हैक कमाण्ड मय खाला, 7 ता 10/1.012 हैक कमाण्ड व किला नं. 15 का 0.190 हैक. कमाण्ड कुल 1.455 हैक. कमाण्ड मय खाला यानी 5.15 बीघा रकबा के वादीगण न 1 ता 3 को वसीयतनामा दिनांक 14.03.2008 अर्जुनसिंह बहक नाजमसिंह आदि के आधार पर बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषीत किया जाता है तथा यह रकबा वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज करने का तथा यह रकबा प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन करने का तहसीलदार सूरतगढ को आदेश दिया जाता है व प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है वह वादीगण के कब्जा काश्त में किसी तरह कि दखलदाजी न तो स्वयं करे व नही किसी अन्य से करवाये ।

नोज........मुबलिग........बाबत.........खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बषरह............फस्दों की पालना.....ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21.04.2026 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:37 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़